

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर प्रदेश।

टॉवर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या:18-एसएसआई(लिपिक)271-2025(अनुपयुक्त)

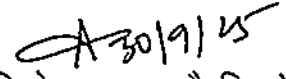
दिनांक:लखनऊ:सितम्बर 30, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर चयन वर्ष-2025 पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-चार-10(44)/2025 दिनांक:16.09.2025 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है। इन कार्मिकों के सेवाभिलेखों में चयन वर्ष-2025 के सापेक्ष लघु दण्ड या दीर्घ दण्ड अंकित/प्रभावी होने अथवा सत्यनिष्ठा अप्रमाणित होने इत्यादि के कारणों से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	ज्ये० क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	अनुपयुक्त का कारण
1	178	030820180	राजेश कुमार	सुन्दर लाल	पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय) कार्यालय मेरठ	दण्डादेश संख्या-1-ई/ब.6-13/2024 दि० 26.06.2025 (परिनिन्दा) प्रथम चयन वर्ष में प्रभावी होने के कारण।

2. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> में 'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment' पर प्रदर्शित की जा रही है।


 (अखिलेश कुमार चौरसिया)
 पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2.अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
- 3.पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय), मेरठ अभिसूचना विभाग।